BSES

बिजली चोरी में छह स्पॉट एफआईआर, दो आरोपी तत्काल गिरफ्तार

- सभी आरोपी कटिया लगाकर बिजली की सीधी चोरी कर रहे थे

नई दिल्लीः 18 मार्च, 2013। बिजली चोरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कड़ा रूख अपनाते हुए छह लोगों के खिलाफ स्पॉट एफआईआर दर्ज की। उनमें से दो आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया। बिजली चोरी मामलों में आमतौर पर स्पॉट अरेस्ट के मामले देखने को नहीं मिलते, लेकिन इस बार आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करके पुलिस ने बिजली चोरों के खिलाफ अपने रूख को साफ कर दिया है। स्पेशल कोर्ट ने भी कड़ा संदेश देते हुए एक आरोपी की जमानत के अनुरोध को नकार दिया और उसे जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया। जबकि, दूसरे आरोपी को 20 हजार के मुचलके पर जमानत दी गई। इधर, पटेल नगर में गजेन्दर उर्फ गंजू को तीसरी बार बिजली चोरी के आरोप में पकड़ा गया है। वह दो बार पहले भी बिजली चोरी करते पकड़ा जा चुका है।

मयूर विहार के त्रिलोकपुरी इलाके में तीन घरों के मालिक रणबीर के तीनों घरों पर बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट टीम ने एकसाथ छापा मारा और रणबीर को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके किसी भी घर में बिजली का कोई मीटर नहीं लगा था। पास से गुजर रही बीवाईपीएल की तारों पर कटिया लगाकर इन तीनों घरों में बिजली की सीधी चोरी की जा रही थी। बीवाईपीएल ने कल्याणपुरी थाने में, तीन घरों के लिए तीन अलग–अलग, स्पॉट एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए आरोपी रणबीर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को बिजली की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया। आरोपी ने कोर्ट से जमानत देने का अनुरोध किया, लेकिन उसकी जमानत के अनुरोध को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

उधर, सोनिया विहार में बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट टीम ने धर्मेन्द्र चौधरी, ओमप्रकाश और जितेन्द्र कसाना के घरों पर छापेमारी करते हुए, उन्हें बिजली की चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा। ये तीनों लोग पास से गुजर रही बीवाईपीएल की तारों पर कटिया डालकर बिजली की सीधी चोरी करते पकड़े गए। इन मामलों की एफआईआर सोनिया विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है।

न्यू मुस्तफाबाद में भी बीवाईपीएल ने मोहम्मद राशिद नामक एक व्यक्ति को बिजली चोरी करते पकड़ा है। वह भी बीवाईपीएल की तारों पर कटिया लगाकर कारीब 6 किलोवॉट बिजली की सीधी चोरी कर रहा था। छापेमारी के बाद बीवाईपीएल ने तत्काल एफआईआर दर्ज करवाई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को बिजली की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 20 हजार रूपये के मुचलके/ श्योरिटी पर जमानत दे दी गई।

मध्य दिल्ली में पटेल नगर में बीवाईपीएल टीम ने छापा मारकर, 71 किलोवॉट बिजली की सीधी चोरी पकड़ी। गजेंन्दर उर्फ गंजू का यह मकान 400 गज में फैला हुआ है और उसमें 25 से भी अधिक कमरे हैं। गजेन्द्र उर्फ गंजू आदतन एक शातिर बिजली चोर है। वह पहले भी दो बार बिजली की सीधी चोरी करते पकड़ा जा चुका है। गजेन्दर को सबसे पहले जुलाई 2005 में बिजली चोरी में पकड़ा गया था। उस वक्त उस पर 13, 78, 543 रूपये का जुर्माना किया गया था। उसके बाद जुलाई 2006 में उसे बिजली चोरी करते दुबार पकड़ा गया। दूसरी बार उस पर 5,59,259 रूपये का जुर्माना किया गया था। लेकिन उसने कभी भी जुर्माने का भुगतान नहीं किया।

कल हुई छापेमारी में बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट टीम ने आनंद परबत पुलिस स्टेशन में मामले की स्पॉट एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस इस शातिर आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

fnYyh dh ie[k fctyh forj.k dEifu;k chvkbZih,y o chokbZih,y viuk miHkksDrkvksa dks x.koRrk;qDr fctyh vkiwfrZ lqfuf'pr djus ds fy, izfrc)/k gSA

....